

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/II/2021 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:


18 JUL 2022

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये श्री वी.के. सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा अपने पदस्थापन के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से मुख्यालय नगरीय विकास विभाग, जयपुर में सप्ताह में 02 दिवस तकनीकी शाखा का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3.  विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) नगरीय विकास विभाग।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
6. श्री वी.के. सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय